



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232972
CG-DL-E-28012022-232972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]
No. 376]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/ MAGHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

का.आ. 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के मेदक जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 161 के 39.980 कि.मी. से 66.210 कि.मी. तक के भू-खण्ड (संगरेडु - नांदेड - अकोला सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार / छे-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की धोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, राजस्व विभागीय अधिकारी, मेदक, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अननुगणत कर सकेगा या अननुगणत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के मेदक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 39.980 कि.मी. से 66.210 कि.मी. तक (सांगारेडु - नांदेड - अकोला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: मेडक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अल्लादुर्ग					
गांव का नाम: अल्लादुर्ग					
1	262	निजी	ड्राई	1,467.0000000(वर्ग मीटर)	0.1467000
2	263	निजी	ड्राई	580.0000000(वर्ग मीटर)	0.0580000
3	264	निजी	ड्राई	43.0000000(वर्ग मीटर)	0.0043000
4	379	सरकारी	ड्राई	707.0000000(वर्ग मीटर)	0.0707000
गांव का नाम: चिलवेरा					
1	404	निजी	ड्राई	302.0000000(वर्ग मीटर)	0.0302000
2	Grama Kantam	निजी	ड्राई	160.0000000(वर्ग मीटर)	0.0160000
गांव का नाम: कैडंपली					
1	84	निजी	ड्राई	1,111.0000000(वर्ग मीटर)	0.1111000
गांव का नाम: रामपुर					
1	201	निजी	ड्राई	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
तालुक का नाम: शंकरमपेट (अ)					
गांव का नाम: कमलपुर					
1	16	निजी	ड्राई	202.3500000(वर्ग मीटर)	0.0202350
गांव का नाम: कोल्लापल्ली					
1	212	निजी	ड्राई	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
गांव का नाम: थिरुमलपुर					
1	259	निजी	ड्राई	222.5300000(वर्ग मीटर)	0.0222530
तालुक का नाम: टेकमल					

गांव का नाम: बोडमैपाली					
1	201	निजी	ड्राई	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
2	208	निजी	ड्राई	657.5000000(वर्ग मीटर)	0.0657500
कुल				5,923.5500	0.5924

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/NH-161/S-N-A/GC/1/2016/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2022

S.O. 388(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 161, in the stretch of land from Km. 39.980 to Km. 66.210 (Sangareddy-Nanded-Akola section) in the district of Medak in the State of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Revenue Divisional Officer, Medak, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 39.980 to Km. 66.210 (Sangareddy-Nanded-Akola Section) on the National Highway No. 161 in the State of Telangana.

State: TELANGANA		District: MEDAK			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Alladurg					
Village: Alladurg					
1	262	Private	Dry	1,467.0000000(Square Meter)	0.1467000
2	263	Private	Dry	580.0000000(Square Meter)	0.0580000

3	264	Private	Dry	43.0000000(Square Meter)	0.0043000
4	379	Government	Dry	707.0000000(Square Meter)	0.0707000
Village: Chilvera					
1	404	Private	Dry	302.0000000(Square Meter)	0.0302000
2	Grama Kantam	Private	Dry	160.0000000(Square Meter)	0.0160000
Village: Kaidampalli					
1	84	Private	Dry	1,111.0000000(Square Meter)	0.1111000
Village: RAMPUR					
1	201	Private	Dry	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
Taluk: Shankarampet (A)					
Village: Kamalapur					
1	16	Private	Dry	202.3500000(Square Meter)	0.0202350
Village: Kollapally					
1	212	Private	Dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
Village: Thirumalapur					
1	259	Private	Dry	222.5300000(Square Meter)	0.0222530
Taluk: Tekmal					
Village: Bodmatpally					
1	201	Private	Dry	130.0000000(Square Meter)	0.0130000
2	208	Private	Dry	657.5000000(Square Meter)	0.0657500
Total				5,923.5500	0.5924

[F. No. NHAI/PIU-HYD/NH-161/S-N-A/GC/1/2016/3A]

RAJESH GUPTA, Director